

	<p style="text-align: right;">कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)</p>
<p>दर परिपत्र सं. 75(माल)/2017</p>	<p style="text-align: center;">Rates Circular No.75(G)/2017</p>
<p>सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy/Pt.I/ 1993</p>	<p style="text-align: right;">दिनांक / Date: 11/04/2017</p>

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ट्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर(ARMs) भिलाई, कोरवा, षहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी.ए.)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म.रे बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी./Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुवली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता। कॉनकोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता महाप्रबंधक/कीस, सीएओ/एफओआईएस, ओसीसी/कीस, चाणक्यपुरी नई दिल्ली, कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन नई दिल्ली।

**विषय/Sub:- Container Rail Terminal (CRT), Container Class Rate (CCR) and Hub & Spoke system of charging.**

**संदर्भ/Ref:-** (1) Railway Board's Rates Master Circular CRT-CCR-Hub & Spoke/2015/0 dt. 07.04.15 and its corrigenda.  
(2) This office Rates Circular No.60(G)/15, 101(G)/15, 201(G)/15, 07(G)/16, 108(G)/16, 127(G)/16, 09(G)/17, 14(G)/17, 65(G)/17 & 74(G)/17 .

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2007/TC-1/302/1Pt.H दिनांक 10/04/2017 (Corrigendum No. 11 to Rates Master Circular CRT-CCR-Hub & Spoke/2015/0) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Please refer to Para 1.2.3 of Chapter -II of Rates Master Circular under reference which stipulated that in case of CR Coils (Cold Rolled Coils) which falls under the notified commodity group 'Iron and Steel', the container class rate will be levied by applying 20% concession on applicable class rate (i.e. GTR minus 20%) as published in Goods Tariff (No. 48 Pt.I Vol.II & Part II) subject to fulfillment of terms and conditions mentioned therein. These instructions are valid up to 10.04.2017.

Contd..2..

The matter has been reviewed and it has been decided to extend the validity of the above instructions up to 10.04.2018 on the same terms and conditions.

This issues in consultation with Traffic Transportation Dte. and with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य  
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक